मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 (भाद्र 22, 1944)

समय 11.00 बजे दिन.

1. मुख्य प्रतिपक्षी दल के नेता को मान्यता की घोषणा.

2. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री कन्हैयालाल दांगी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री रणजीत सिंह गुणवान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री शिवमोहन सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्रीमती सरोज कुमारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्रीमती गायत्री देवी परमार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री सुखराम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(8) श्री चक्रधारी सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(9) ज्योर्तिमठ बद्रीनाथ और द्वारका-शारदा ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती,
(10) जम्मू के कुपवाड़ा बार्डर पर दुश्मनों से मुठभेड़ के दौरान शहीद जवान,
(11) जम्मू के सुजवान सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद जवान,
(12) गुना जिले के आरोन के जंगलों में काले हिरण के शिकारियों से मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मी,
(13) उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा में बस के खाई में गिरने से तीर्थयात्रियों की मृत्यु,
(14) जम्मू के दुर्गमूला में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान,
(15) धार-खरगौन बार्डर पर नर्मदा नदी पर बने खलघाट पुल से यात्री बस गिरने से यात्रियों की मृत्यु, तथा
(16) भारत-बांग्ला देश सीमा पर उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवान.

3. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे :-

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022),
(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022),
(ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022), तथा
(घ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022).

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 433 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) क्रमांक 395-एफ-1-246-2020-अठारह-3, दिनांक 06 नवम्बर, 2020,
(ख) क्रमांक 394-एफ-1-250-2020-अठारह-3, दिनांक 06 नवम्बर, 2020,
(ग) क्रमांक 21-एफ-32-2017-18-3, दिनांक 09 जुलाई, 2018,
(घ) क्रमांक 44-एफ-4-44-2018-18-1,दिनांक 17 दिसम्बर, 2018,
(ङ) क्रमांक 17 एफ-1-16-2021-अठारह-3, दिनांक 31अगस्त, 2021, एवं
(च) क्रमांक 01 एफ-1-15-2021-अठारह (3), दिनांक 13 जनवरी, 2022

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री,** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-3/2022/सात/शा.7, दिनांक 19 मई, 2022 पटल पर रखेंगे.

(3) **डॉ.प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) शहपुरा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ग) बाणसागर थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(घ) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(5) **डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री,** मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

6. मार्च, 2022 सत्र की स्थगित बैठकें, दिनांक 17.3.2022, 21.3.2022, 23.3.2022, 24.3.2022 एवं 25.3.2022 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 10 पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य,** सतना कृषि उपजमंडी में गबन के आरोपियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **सर्वश्री तरूण भनोत, विनय सक्सेना, सदस्य,** जबलपुर स्थित निजी अस्पताल में अग्निकांड से कई लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 2022 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 856) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 सितम्बर, 2022.